2022 का विधेयक संख्यांक 21.

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 है । संक्षिप्त नाम ।

सं0आ0 22 5

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 15 -- त्रिपुरा की, प्रविष्टि 9 में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

"(iiiक) डार्लोंग ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है ।"

2. संविधान का अनुच्छेद 342 निम्नानुसार उपबंध करता है :—

"342 अनुसूचित जनजातियां-(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार, वर्ष 1950 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित की गई थी । यह सूची समय-समय पर उपांतरित की गई थी । त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जन जातियों की सूची संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा उपांतरित की गई है । त्रिपुरा राज्य के संबंध में त्रिपुरा राज्य सरकार ने "डार्लोंग" समुदाय को, अनुसूचित जनजातियों की सूची की प्रविष्टि 9 में "कुकी" की उप जनजाति के रूप में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है ।

4. त्रिपुरा राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करके त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने का प्रस्ताव है ।

5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग -15- त्रिपुरा का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे अनुसूचित जनजातियों की सूची की प्रविष्टि 9 में उप जनजाति "(iii) छाल्य" के पश्चात् "डार्लोंग" समुदाय को "कुकी" की उप जनजाति के

रूप में अन्तःस्थापित किया जा सके ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
31 जनवरी, 2022

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची का संशोधन करके संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है । त्रिपुरा राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची का संशोधन करने में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चालू स्कीमों के अधीन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले फायदों के मद्दे अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित हो सकेगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस मद्दे उपगत होने वाले संभाव्य अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अन्दर समायोजित किया जाएगा ।